

क्रमांक अज./ए.डी./आर.टी.आई./सी.आई.सी/आर-253

दिनांक 13.11.2019

श्री एस.के. पाण्डा
डीजीएम एव जन सूचना अधिकारी
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.,
नई दिल्ली।

विषय:—सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना बाबत।

संदर्भ:—आवेदक श्री पुरुशोत्तम अग्रवाल के आवेदन पत्र दिनांक 24.09.2019 के जवाब के संबंध में।

उपरोक्त विषय के अंतर्गत मांगी गई सूचना निम्नानुसार है:—


मद सं. 1: खसरा सं. 1513 में अभि निर्णय के अनुसार वर्ष 2011 (6.07.2011) में कुल रू. 395787/- का मुआवजा पारित हुआ एवं वर्ष 2017 में कुल रू. 83370/- का मुआवजा पारित हुआ।

मद सं. 2: उप खण्ड अधिकारी द्वारा जारी आदेश खतेदार के आवेदन एवं जे.एम.एस. की प्रति संलग्न है।

मद सं. 3: पत्रावली का निरीक्षण इस कार्यालय के कार्य दिवस में किया जा सकता है।

मद सं. 4: समपार संख्या 3 पर बन रहे आर.यू.बी. की ड्राइंग संलग्न है।

उपरोक्त सूचना 39 पृष्ठों में उपलब्ध है जो आवेदक द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर कार्यालय दिवस के दौरान प्राप्त किया जा सकता है।


मुख्य महाप्रबंधक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., अजमेर

